छ.ग. प्रदेश कँवर समाज विकास समिति, टाटीबंध, रायपुर

प्रदेश कार्यालय : कंवर भवन, अयप्पा मंदिर के पास, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)
पंजीयन क्रमांक : 4344

अध्यक्ष
श्री हरवंश सिंह मिरी
98261-20342

महासचिव
श्री नकुल चंद्रवंशी
7987774020

कोषाध्यक्ष
श्री बसंत दीवान
7987171001

सह-सचिव
श्रीमती धनेश्वरी कंवर
9340081014
श्री कुंज बिहारी सिंह
9406079123

उपाध्यक्ष - बिलासपुर संभाग
श्रीमती सविता साय
9329444014

उपाध्यक्ष - सरगुजा संभाग
श्री उपेन्द्र कुमार सिंह
8223937733

उपाध्यक्ष - रायपुर संभाग
श्री थान सिंह दीवान
9826944647

उपाध्यक्ष - दुर्ग संभाग
श्री हरिराम पुजेरी
7587724650

उपाध्यक्ष - बस्तर संभाग
डॉ. संदीप ठाकुर
7697133328

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
श्री महिपाल सिंह कंवर
9425590727
श्री टीकाराम कंवर
9425245161
श्री सनपाल सिंह दीवान
9575257715
श्री शिवनारायण सिंह
7974588014
श्री भारत सिंह दीवान
8085588897
श्री दशरथ पैकरा
9424215687
श्री मनोज चंद्रवंशी
8120790124
सुश्री राजकुमारी दीवान
9893750702
श्री बृजराम पैकरा
7697078808
श्री संदीप कुमार पैकरा
9406388262

क्रमांक – 02/छ.ग.कं.स.वि.स./2023 रायपुर, दिनांक 11/ 01/2023

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

विषय :– छत्तीसगढ़ प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज के नाम से राजधानी रायपुर के ग्राम–लाभाण्डी में दर्ज भूमि के बाउण्ड्रीवॉल हेतु राशि रू. 10.00 लाख एवं सामाजिक मंगल भवन निर्माण हेतु राशि रू. 60.00 लाख प्रदाय करने बाबत्।

****

महोदय,

निवेदन है कि कंवर आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी जिलों में निवास करती है, जिनका विभिन्न कार्यों से राज्य के राजधानी में आना–जाना होता है। राजधानी रायपुर में भी विभिन्न जिलों के लगभग 600 कंवर परिवार स्थाई रूप से निवास करते है। छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न जाति, समाज के लिए राजधानी सहित विभिन्न जिला मुख्यालय, नगरी निकाय क्षेत्र में 7500 वर्गफुट की 'भूमि निर्धारित प्रीमियम एवं भू–भाटक' पर आबंटन करने के निर्देश है, इस निर्देश एवं योजना पर कंवर (आदिवासी) समाज को प्रदेश स्तरीय सामाजिक मंगल भवन के संचालन के लिए ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर में 7500 वर्गफुट भूमि आबंटित हुई है।

2/ आपके सामाजिक समरसता, सामाजिक प्रेम एवं सामाजिक उत्थान के दिशा में अच्छी योजना के कारण ही कंवर (आदिवासी) समाज को राजधानी में यह जमीन प्राप्त हुई है, जिसके लिए छ.ग. राज्य के एक–एक कंवर आपको एवं आपके सरकार के प्रति आभार एवं धन्यवाद प्रगट करते है।

3/ यह कि हमारा समाज आर्थिक रूप से कमजोर समाज है। भूमि आबंटन के निर्धारित 15 प्रतिशत प्रीमियम एवं भू–भाटक की कुल राशि रू. 6,96,301/– को सामाजिक लोगों से आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त कर जमा की गई है।

क्रमशः..02..

छ.ग. प्रदेश कँवर समाज विकास समिति, टाटीबंध, रायपुर

प्रदेश कार्यालय : कंवर भवन, अयप्पा मंदिर के पास, उदया सोसायटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक : 4344

अध्यक्ष श्री हरवंश सिंह मिरी 98261-20342

महासचिव श्री नकुल चंद्रवंशी 7937774020

कोषाध्यक्ष श्री बसंत दीवान 7937171001

सह-सचिव श्रीमती धनेश्वरी कंवर 9340081014

श्री कुंज बिहारी सिंह 9406079188

उपाध्यक्ष - बिलासपुर संभाग श्रीमती सविता साय 9329444014

उपाध्यक्ष - सरगुजा संभाग श्री उपेन्द्र कुमार सिंह 8223993773

उपाध्यक्ष - रायपुर संभाग श्री थान सिंह दीवान 9328944847

उपाध्यक्ष - दुर्ग संभाग श्री हरिराम पुजेरी 7537724650

उपाध्यक्ष - बस्तर संभाग डॉ. संदीप ठाकुर 7697133326

प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य

श्री महिपाल सिंह कंवर 9425590727

श्री टीकाराम कंवर 9425245161

श्री सनमान सिंह दीवान 9575257715

श्री शिवनारायण सिंह 7974588014

श्री भारत सिंह दीवान 8085588897

श्री दशरथ पैकरा 9424215887

श्री मनोज चंद्रवंशी 6120760124

सुश्री राजकुमारी दीवान 9893750702

श्री गृजराम पैकरा 7697078800

श्री संदीप कुमार पैकरा 9406368262

चूंकि आबंटित भूमि में निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य कराना होता है, कंवर समाज आर्थिक रूप से कमजोर समाज है एवं आबंटित भूमि के सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण एवं सामाजिक मंगल भवन के निर्माण करने में सामर्थ्य नहीं है। आप हमारे मुखिया है और सभी जाति समाज को लेकर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में आप काम कर रहे हैं, जिससे समाज का विकास हो रहा है।

4/ कंवर (आदिवासी) समाज छत्तीसगढ़ की प्रमुख आदिवासी समाज है एवं आर्थिक रूप से कमजोर भी है। राजधानी रायपुर में आपके कृपा एवं सहयोग तथा आपके सरकार के योजना से 7500 वर्गफुट भूमि प्राप्त हुई है एवं उक्त आबंटित भूमि के सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल एवं सामाजिक मंगल भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त होता है, तो हमारे समाज का एक भवन होगा, एक स्थान होगा, जहां पर राजधानी में निवास करने वाले सगा समाज तथा राज्यभर के सगा समाज के लोग किसी भी काम से रायपुर या आस–पास आते है, उनके रूकने के साथ–साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु एक "ठउर" बन जायेगा, आपके इस सहयोग के लिए कंवर (आदिवासी) समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर में कंवर समाज के 7500 वर्गफुट भूमि के बाउण्ड्रीवॉल हेतु राशि रू. 10.00 लाख एवं सामाजिक मंगल भवन हेतु राशि रू. 60.00 लाख प्रदान कर स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे।

"जय जोहार – जय छत्तीसगढ़"

(महासचिव) अध्यक्ष

न्यायालय कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छ0ग0)

(प्रकरण क्रं.21 अ/59 वर्ष 2021–23)
ग्राम लाभाण्डी प.ह.नं. 65 तहसील रायपुर
जिला रायपुर (छ0ग0)

अध्यक्ष,
छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी)
समाज विकास समिति,
जिला रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

छ0ग0 शासन

//आदेश //
(पारित आदेश दिनांक 31/10/2022)

आवेदक छ.ग. प्रदेश कंवर (आदिवासी) समाज विकास समिति टाटीबंध के पत्र कमांक 02/छ.ग.प्र.कं. स.वि.स./2021 रायपुर,दिनांक 12/01/2021 के द्वारा ग्राम–लाभाण्डी, प.ह.नं. 65, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि को सामाजिक भवन एवं अन्य सामाजिक कार्य के लिये आबंटन हेतु मांग किया गया है।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर से जॉच प्रतिवेदन मंगाया गया। प्रकरण में प्रकिया अनुरूप ईश्तहार का प्रकाशन किया गया। विभागीय अभिमत प्राप्त किया गया।

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छ0ग0 के पत्र कमांक/1814/नग्रानि/23/4/2021 रायपुर दिनांक 28.01.2021 के अनुसार ग्राम लामाण्डी आवेदित खसरा का रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 अनुसार भू–उपयोग आवासीय, आमोद, प्रमोद एवं मार्ग है। अतः रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 में मार्ग अंतर्गत भूमि को छोड़कर सशर्त अनापत्ति प्रदान किया गया है। रा.नि.' के स्थल जांच प्रतिवेदन में आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजन के अंतर्गत होना पाया गया हैं।

जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 27.09.2022 को आहूत की गई। बैठक में सर्वसम्मति से आवेदित भूमि ग्राम–लाभाण्डी, प.ह.नं.– 65, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि घांस दर्ज को शासन के निर्देशानुसार 15 प्रतिशत प्रावधानित दर पर आबंटित किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र कमांक 4–66/सात–1/2020 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 16.10.2020 के अनुसार पंजीकृत सामाजिक संस्था को भूमि आवंटन के संशोधित दर 15 प्रतिशत के अनुसार प्रब्याजी :– 46,35,050/–रू. का 15 प्रतिशत = 6,95,258/–रू., एवं भू–भाटक वर्तमान सामान्य भू–भाटक 0.30 प्रतिशत का 50 प्रतिशत वार्षिक भू–भाटक :– 695258X0.30 प्रतिशत = 2,086/–रू. का 50 प्रतिशत = 1,043/–रू.।

अतः शासन के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में उपरोक्तानुसार आंकलित राशि एकमुश्त उचित शीर्ष में जमा कराये जाने के शर्त के साथ आवेदक सामाजिक संस्था को आवेदित भूमि ग्राम–लाभाण्डी, प.ह.नं.– 65, तहसील–रायपुर, जिला–रायपुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 706/1 रकबा 2.651 हे. मे से 7500 वर्गफुट भूमि को निम्नांकित सामान्य एवं विशेष शर्तो के अध्याधीन आबंटित किया जाता है।

.......02......

कलेक्टर
रायपुर

Scanned with CamScanner

सामान्य एवं विशेष शर्तें निम्नानुसार रहेंगे :–

1) भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा । यदि ऐसा किया जाता है, तो यह आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा तथा आबंटिती को अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी ।

2) भूमि या उसके किसी भाग का ऊपर उल्लेखित उपयोग के अलावा किसी अन्य व्यक्तियों को उपयोग करने हेतु नहीं दिया जावेगा, उसका हस्तांतरण नहीं किया जायेगा और ना ही किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिए दिया/उपलब्ध कराया जायेगा।

3) यदि उक्त भूमि का उपयोग विहित प्रयोजन के लिए नहीं होता हैं या बाद में कभी बंद दिया जाता है, तो भूमि, उस पर निर्मित संपत्तियों के साथ, शासन में स्वमेव निहित हो जावेगी और आबंटिती को उसका मुआवजा देय नहीं होगा और न ही भूमि में लगाई गई कोई भी लागत या राशि वापस होगी।

4) भूमि के किसी भी उपयोग या उस पर किसी भी निर्माण के पूर्व, संबंधित विभागों से यथा लोक निर्माण विभाग, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश योजना इत्यादि से अनापत्ति प्राप्त करना/औपचारिकताओं की पूर्ति कराना अनिवार्य होगा।

5) उक्त भूमि या उसके किसी भाग का उपयोग स्वीकृत मास्टर प्लान के अनुसार ही किया जा सकेगा। किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं हो सकेगा। यदि भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किए जाने पर अनाधिकृत कब्जेदार मानकर शासन में निहित कर ली जावेगी।

6) शासन के प्रतिनिधि/अधिकृत व्यक्ति कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन निरीक्षण करने के लिए आबंटित भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

7) भूमि के संबंध में किसी भी माननीय न्यायालय के आदेश यदि कोई हो तो आवेदक को उसका पालन करना आवश्यक होगा।

8) निर्माण कार्य 02 वर्ष के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

9) उपरोक्त उल्लेखित शर्तों का पालन नहीं होने की स्थिति में अनुमति पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

कलेक्टर
रायपुर

रायपुर, दिनांक 31/10/2022

पृ0कमांक/ 268 /भू–आबंटन/2022

प्रतिलिपिः–

1– सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

.......03......

Scanned with CamScanner

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रूपये पैसो मे

Document Id -20230105440700439

ग्राम : लाभांडी हल्का : 00065 रा नि : रायपुर-9-तेलीबांधा तहसील : रायपुर जिला : रायपुर

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
742	(1)नाम - छ.ग.प्रदेश कंवर (आदिवासी)समाज विकाश समिति पिता -- वर्ग- अनु . जनजाति जाति- कवर पता- टाटीबन्ध रायपुर स्वामित्व -शासकीय पट्टेदार (कृषि)	706/4	0.0697 (7502.45 sq.ft)		0.2000																	शासन से आबंटित नामांतरण क्रमांक 4407252/050123/00617 आदेश क्रमांक न्यायालय अपर कलेक्टर रायपुर के रा.प्र.क्र.21/अ --5 / 31 Dec 2022
कुल		1	0.0697		0.2000	0	0.2000															

टीप:-- बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2 में अंकित है |

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2022-2023

ग्राम : लाभांडी हल्का : 00065 रा नि : रायपुर-9-तेलीबांधा तहसील : रायपुर जिला : रायपुर 20230105440700440

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
706/4	0.0697 (7502.45 sq.ft)	छ.ग.प्रदेश कंवर (आदिवासी)समाज विकाश समिति	पिता --	कवर	टाटीबन्ध रायपुर	कृषि ₹ 0.20	शासकीय पट्टेदार (कृषि)		शासन से आबंटित

टीप:-- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा |